[श्री चन्द्रपाल सिंह]

इस मामले में हस्तक्षेप कर चार सौ कार्यरत श्रमिकों को बकाया वेतन लगभग पांच लाख रुपये अविलम्ब भुगतान कराया जाए तथा देश में कागज की अनिवार्यता एवं मजबूरों की बेरोजगारी को देखते हुए कागज का उत्पादन शुरू किया जा सके, जिससे मिल को हो रही लगभग 20 लाख रुपए प्रति माह के नुकसान को रोका जाए ।

(v) ARRANGEMENTS FOR THE PURCHASE OF VIRGINIA TOBACCO IN BIJAPUR AREA, GUJARAT.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में मेहसाना जिले के बीजापुर क्षेत्र में पिछले तीस सालों से बर्जीनिया तम्बाकू पैदा की जाती है । पिछले इन सब सालों में आई०टी०सी० कम्पनी के द्वारा यह तम्बाकू का बीज उगाने के लिए दिया जाता था और इनमें से तैयार जो माल होता था, यह सब तम्बाकू यह कम्पनी खरीद लेती थी । इस साल भी इस कम्पनी ने ही किसानों को तम्बाकू पकाने के लिए इसके बीज दिए हैं और अब तम्बाकू तैयार हो गया है, लेकिन यह कम्पनी खरीदने को आगे नहीं आ रही है । इतना ही नहीं, लेकिन दूसरी कम्पनियां खरीदने को आती हैं तो उन्हें कारनर करके खरीदने नहीं देती हैं, जिससे वहां के किसान, जिन्होंने तम्बाकू पैदा की है, बहुत मुश्किल में आ पड़े हैं ।

देश में वर्जनियां तम्बाकू को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने तम्बाकू बोर्ड बनाया है, जो तम्बाकू उगाने पर नियंत्रण रखता है । इसकी बिक्री करने में मदद करता है और विदेशों में बाजार पाने के लिए भी कोशिश करता है । इस तम्बाकू बोर्ड के जरिए इस क्षेत्र, के 86 किसानों ने अपना नाम तम्बाकू उगाने के लिए तम्बाकू बोर्ड में इस साल रजिस्टर्ड कराया है । करीबन 8 लाख किलो जितना माल तैयार पड़ा हुआ है । लेकिन, उसे खरीदा नहीं जा रहा है । इसलिए मैंने तम्बाकू बोर्ड में और वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को दिनांक 7-2-83 को पत्र लिखा है, सारी परिस्थिति से अवगत कराते हुए और तार भी भेजे हैं । लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । तम्बाकू बोर्ड का कार्यालय जहां है, वह गुंतूर शहर में कई कम्पनियां तम्बाकू खरीदने वाली और आफिस खोल कर प्लांट लगाकर बैठी हैं । जिनको यह तम्बाकू बाहर भेजने के लिए मान्यता भी तम्बाकू बोर्ड से दिया जाता है । इन कम्पनियों को इस क्षेत्र से तम्बाकू खरीदने के लिए शीघ्र ही भेजने की व्यवस्था तम्बाकू बोर्ड द्वारा की जाए । या तो एस.टी० सी० या नाफेड द्वारा यह तम्बाकू खरीदा जाए ऐसा प्रबन्ध शीघ्र किया जाए । मैं वाणिज्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं और जिस कम्पनी ने इतने सालों से इस क्षेत्र में वर्जनियां तम्बाकू उगाने और खरीदने का काम किया है यह कम्पनी किसानों का इस साल का पकाया हुआ माल मुफ्त में खरीदने के लिए कोशिश कर रही है । इसके प्रति भी योग्य कदम तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाया जाए ।

(iv) MEASURES FOR PRESERVATION OF SEA TURTLES

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): Pacific ridley sea turtles available in the sea water of Orissa in large number are on the verge of extinction.

It reveals from a preliminary study that their mating usually takes place

during October—December when a large number of copulating pairs can be seen floating near the rookeries on the beach. A large number of hatchlings which fail to enter the sea before dawn are preyed upon by thousands of migratory sea gulls and Mamadian predators like dogs, jackals, hyenas and panthers.

Poachers in big groups from Digha in West Bengal and Balasore in Orissa also catch thousands of sea turtles by nylon nets in violation of the Wildlife (Protection) Act, 1972, and sell them mainly in the Calcutta market. The most unfortunate thing is that the adults and their eggs are also collected by those poachers from the rookeries on the beach and trawlers used by them for fishing in the vicinity of the breeding ground also cause accidental killings of sea turtles.

I suggest that Government of India should send specific instruction to regulate fishing especially during the peak mating and nesting season and for transplanting of the sea nests to protect, the hatchlings from high tide. Coast guard should regulate fishing with the help of speed boats and motor launches in the off-shore area and on the beaches and estuaries during the peak season.

It is necessary to make all possible efforts for the preservation of the sea turtles. Therefore, I further suggest to undertake scientific research on their behaviour pattern, protection in their natural habitat and proper exploitation of the surplus turtles and eggs without affecting the population.

(vii) Need to increase quota of rice for distribution in Kerala

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): The monthly requirement of rice in Kerala for the public distribution system is about two lakh tonnes while the allocations during December, 1982 and January and February, 1983, have been barely 95,000 tonnes per month. It may here be noted that during 1980 and 1981 the monthly allocation was 1,35,000 tonnes. During the five months from December, 1981 to April, 1982, the monthly quota was reduced to 90,000 tonnes, then the Government of India was obliged to raise it to 1,10,000 tonnes from May, 1982. However, once again the Government reduced the monthly quantum arbitrarily to 90,000 tonnes in November, 1982, and then slightly enhanced it to 95,000 tonnes which is the present highly inadequate allocation. The situation has further deteriorated as the arrivals of rice in the State of Kerala has become negligible because of restrictions imposed by the surplus States.

The acute scarcity of rice is having serious repercussions. Let the State not fall a victim to panic and chaos. I, therefore, urge upon the Government of India to raise the monthly allocation so as to restore it at least to the original quota of 1,35,000 tonnes.

Further, the Kerala State Civil Supplies Corporation has sought the permission of the Government of India to buy about 1,00,000 tonnes of rice from the surplus States.

I appeal to the Government of India to see that the food situation in Kerala does not go out of control and that the required measures are taken immediately.

13.39 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने सदन के समक्ष जो भाषण देने की कृपा की है तथा उस के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जी ने रखा है, तथा उस के समर्थन में हमारे प्रो. तिवारी जी ने जो कुछ